अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 25.01.2024**

दिनांक 25.01.2024 वाद पुकारा गया। मामले में उभय पक्षों की हाजिरी है। प्रस्तुत मामले में वादी की तरफ से दिनांक 14.07.2023 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया । मामला आदेश पर निर्धारित है।

मामले में वादी की तरफ से कहा गया कि वाद में वादी की गवाही चल रही थी और आंशिक प्रतिपरीक्षण भी हुआ था यह कि दिनांक 25.07.20222 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण वादी न्यायालय में नहीं आ सका और उसका कागजात भी प्रदर्श नहीं हो सका अतः न्यायहित में दिनांक 25.07.2022 के आदेश को वापस लेते हुए वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने की इजाजत देने की कृपा की जाए।

मामले में प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में कहा है कि वादी के आवेदन का विरोध किया और कहा कि जानबूझकर मामले को देरी कराने के आशय से यह प्रतिवेदन दिया गया है । अतः आवेदन खारिज करने की कृपा करें ।

मामले में उभय पक्षों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामला 7 वर्ष पुराना है । प्रस्तुत मामले में वाद प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु निर्धारित है। वादी का साक्ष्य न्यायालय द्वारा 25.07.2022 को बंद कर दिया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि दिनांक 06.01.2021 तथा दि0 05.02.2021 को वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया । दिनांक 05.03.2021 को 100रु खर्चे पर मौका दिया गया। लगातार समय देने के पश्चात जब वादी साक्ष्य नहीं दिया तो न्यायालय में दिनांक 25.07.2022 को साक्ष्य बंद कर दिया गया। मामले में वादी को न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया था परंतु चूंकि मामले में वादी इस वाद में संघर्षरत हैं अतः 5000रु खर्चे जो मोतिहारी न्यायालय के नजारत में जमा किया जाएगा। मामले में चूंकि अभी प्रतिवादी साक्ष्य चल रहा है अतः प्रतिवादी साक्ष्य के समाप्त होने के पश्चात 5 तिथियों में वादी साक्ष्य पूर्ण करें। एतद द्वारा मामले में न्यायालय का आदेश दि0 25.07.2022 को वापस लिया जाता है । वाद दिनांक .....वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)